अध्याय- प्रथम

शोध विषय का परिचय

अध्याय प्रथम
शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसमें इंसान को बचपन से परिपक्वता तक की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिसके दवारा वह धीरे-धीरे अपने भौतिक और आध्यात्मिक माहौल में विभिन्न तरीकों से अपनाया जाता है।

समावेशी शिक्षा के प्रति विशेष का अर्थ विशिष्टता से है जिसको असाधारण भी कहा जाता है। विशेष विद्यार्थी वह है जो सामान्य विद्यार्थी से भिन्न है। कोई भी दो विद्यार्थी समान नही होते है यह भिन्नता अनेक पक्षो मे देखने को मिलती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को अपवादी विद्यार्थी भी कहा जा सकता है। जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओ, व्यवहार, व्यक्तित्व और अपनी आयु के अन्य विद्यार्थी से भिन्न होते है। इन विद्यार्थीयों की आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न होती है। इन विद्यार्थीयों का व्यवहार आवश्यकता जनित होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ती न होने पर विद्यार्थी हताश होने लगता है। व्यक्ति उसी समय व्यवहार करता है जब उसके समक्ष कुछ आवश्यकतायें होती है। और वह उन्हे पूर्ण करना चाहता है। व्यक्ति की आवश्यकता प्रेरक बोधनियता तथा लक्ष्यो एवं उद्देश्यो से प्रभावित होती है। सामान्य विद्यार्थीयों से हटकर कुछ विशेष आवश्यकताओ को प्रकट करने वाले विद्यार्थीयों को असामान्य विद्यार्थी कहा जाता है। इन विद्यार्थीयों की आवश्यकताओं, रुची, व्यवहार, योग्यता व व्यक्तित्व सामान्य विद्यार्थीयों से अलग होता है। यह विशिष्टता विद्यार्थीयों के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य पहेलुओ मे देखने को मिलती है। इन विद्यार्थीयों का विकास सामान्य विद्यार्थीयों की अपेक्षा कम होता है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता

विशिष्ट विद्यार्थीयों को अपनी विशिष्टता या अपने अविकसित अंग के कारण आगे बढने से डरते है हिचकिचाते है। उन्हे समावेशी शिक्षा के कारण अपना पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको मे सकारात्मक अभिवृत्ति ऐसे विशिष्ट विद्यार्थीयों मे स्वस्थ्य भावना को जाग्रत करती है। तथा उनमे स्वयं के प्रति हीन भावना आने से रोकती है। और उन्हे प्रोत्साहित करती है। विशिष्ट विद्यार्थीयों के लिये महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो उन सभी की अभिवृत्ति सकारात्मक होना चाहिये। तभी तो हम सामान्य विद्यार्थीयों को विशिष्ट विद्यार्थीयों के साथ शिक्षा प्रदान कर सकते है। और सभी विद्यार्थीयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान कर सकते है।

एन.सी.एफ. के अनुसार

समावेशी शिक्षा निःशक्त विद्यार्थीयों के लिये बहुत ही अतिआवश्यक है। ताकि उनके दवारा विशिष्ट विद्यार्थीयों को शिक्षा प्रदान कर उन्हे जीवन-यापन के लिये तैयार किया जा सके। इसमे शिक्षको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर.टी.ई. के अनुसार

समावेशी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। जिसकी सहायता से सभी विद्यार्थीयों को सामान्य प्रणाली मे लाया जा सकता है। सभी विद्यार्थीयों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अतिआवश्यक है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को उनकी विशिष्टता के आधार पर शिक्षा देने से मना नही किया जा सकता है। इसमे समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अतः समावेशी शिक्षा एक नई शुरुआत है जिसमे शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली

क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होता है। इसलिये इस अध्ययन मे शिक्षको मे समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

1.3 शिक्षा का अर्थ

शिक्षा शब्द की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गयी है।

शिक्षा का अर्थः- शिक्षा शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। शिक्षा – शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्य को पूर्ण करती है। एज्यूटर शब्द का अर्थ है ज्ञान को बाहर निकालना, आगे बढाना, शिक्षित करने के लिए, ऊपर लाने के लिए।

लैटिन वर्ड एडुकाटम का अर्थ है ईको- प्रशिक्षित करना और डूको का अर्थ है ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना, यादो को जोड़ना। इस अवधारणा का विकास करने के लिये हमें आगे आना चाहिए और समझना चाहिये कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो भीतर से ज्ञान को खींचती है। प्रत्येक बच्चे का जन्म कुछ सहज प्रवृत्ति के लिये होता है जो कि उनकी क्षमताओं और अंतर्निहित शक्तियों से होता है। शिक्षा इन शक्तियों को बाहर निकालने और विकसित करने के लिए है, इस तरह से शिक्षा शब्द का अर्थ है कि विद्यार्थीयों के जन्म के गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करना। बीसवीं सदी की तकनीकी और साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में विकास और नवाचार के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। एक नए मूल्य या विश्वास के रूप में मूल्यों की परंपरागत मान्यताओं में शिक्षा अब तक फंस नहीं पाई है। वर्तमान समय मे समाज एक ही माहौल में सभी विद्यार्थीयों को विशेष रूप से समावेशी शिक्षा से शिक्षित करना चाहती है। अब शिक्षा प्रणाली से विशेष आवश्यकताएं सभी विद्यार्थीयों का समग्र विकास, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त समाज को विकसित करने की ओर अग्रसर है।

एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी के पास शिक्षा का अधिकार है। लोकतंत्र के अनुसार विद्यार्थी की आयु क्षमता और योग्यता के अनुसार सभी के लिए शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग है और व्यक्तिगत ध्यान देने योग्य हैं। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो हल्के या मध्यम विशिष्ट हैं। कक्षा में शिक्षक उन्हें सामान्य रूप से सिखा सकते हैं यदि वे इस तरह के विद्यार्थीयों की जरूरत से ठीक तरह से संवेदनशील हैं तो उनके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों के कारण पीछे रह जाने वाले विद्यार्थीयों को समानता का अवसर दिया जा सकता है।

विशिष्ट की शिक्षा में कई परिवर्तनों के इतिहास में गहरी जड़ें हैं, जो समय-समय पर विशिष्ट विद्यार्थीयों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण में हुईं 19वीं शताब्दी में विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा करने वाले संस्थानों के उदय ने उन्हें समाज से अलग कर दिया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विशेष स्कूल और नियमित कक्षा में विशेष कक्षाएं शुरू की गईं और इस तरह की सुविधाएं विशिष्ट विद्यार्थीयों के साथ प्रदान की गईं । आज विशिष्ट विद्यार्थीयों के पुनर्वास में वर्तमान प्रवृत्ति इन विद्यार्थीयों को जहां तक संभव हो अन्य बच्चों के रूप में एक ही स्कूल में भाग लेने के निर्देश देने के तरीकों के मामले में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के कारण हुई थी। इस प्रकार शिक्षा और प्रशिक्षण में विशिष्ट विद्यार्थी को पहले ही देखभाल प्रदान की गई है, अब उन्हें समुदाय में स्वतंत्र रहने के लिए तैयारी करने की दिशा में सक्षम बनाया गया है।

1.4 विशिष्ट की अवधारणा

विशिष्ट एक भौतिक संवेदी बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक आदि है जो रोज़गार शिक्षा के कार्यों और पूर्ण सहभागिता की गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। विशिष्ट आज की मानवीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन की

अनुरूपता है जो विशिष्ट किसी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी को प्रभावित करती है वह पर्यावरण पर, सामाजिकता पर, शिक्षा पर, बहुत अधिक निर्भर करती है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तरीके से विशिष्ट होता है। विशिष्ट व्यक्ति वह हैं जो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अपनी रोजमर्रा की गतिविधि के रूप में प्रदर्शन करने में भिन्न हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जैसे कि मानसिक मंदता, वाणी बाधिता, दृष्टिदोष, बौद्धिक अक्षमता, प्रमस्तकीय पक्षाघात और अधिगम असमर्थ, बहुबाधिता आदि। इस तरह असक्षम विद्यार्थीयों के कामकाज के कई क्षेत्रों में औसत छात्रों से भिन्न होते हैं जिसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा 19वीं शताब्दी में एक विशिष्ट संरक्षित वातावरण में असाधारण विद्यार्थीयों के लिए बनायी गयी है, क्योंकि उन्हें मुख्य शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया था। यदयपि विशेष पर्यावरण ने अपने व्यक्तित्व को अभी तक अपवर्जन बना दिया है, जिसमे तथाकथित विशेष विद्यार्थीयों के भीतर अविश्वास और झिझक की भावना पैदा की। यह अपने जीवन में सामान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा और रहने वाले वातावरण के रूप में सामान्यता प्रदान करना है। सामान्यीकरण केवल बाधाओं को कम करने से नही बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार उनके पर्यावरण से प्रतिबंध कम हो सकता है। समावेशी शिक्षा मुख्य धारा के लिए कारगर साबित हुई है। क्योंकि यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें असाधारण विद्यार्थीयों (विशिष्ट या चुनौतीपूर्ण विद्यार्थीयों) अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर सामान्य विद्यार्थीयों के साथ कक्षाएं शामिल कर सकते हैं लेकिन यह उचित विकास में बाधित एक असाधारण विद्यार्थीयों के रूप में अलगाव अभी भी दो समूहों के बीच प्रचलित है, सामान्य और विशेष समूह से अविश्वास और झिझक को खत्म करने के लिए और सामाजिक स्वीकृति विकसित करने के लिए प्रतिबंधात्मक वातावरण में सभी विद्यार्थीयों को शिक्षित करने पर तनाव दिया जा रहा है।

1.5 समावेशन की अवधारणा

अपने व्यापक और सर्व समावेशन अर्थ समन्वित शिक्षा में, एक अभिवृत्ति के रुप मे उन सभी विद्यार्थीयों, युवाओं और वयस्कों की

सीखने की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना है समावेशन वह है जिसकी सहायता से सभी विशिष्ट विद्यार्थीयों को उनकी आवश्यकताओ के अनुसार जरुरत को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब सभी शिक्षार्थियों, युवाओं और विशिष्ट लोगों के साथ या अन्य किसी व्यक्तियो के साथ विद्यालयों और सामुदायिक शैक्षणिक माध्यम से सहायता सेवाओं के उपयुक्त उपायों के साथ मिलकर सीखने में सक्षम है, दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी विद्यार्थीयों और युवाओं को शिक्षा सामान्य या पूर्व विद्यार्थीयों में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ शिक्षा प्रदान की जायें।

कॉलेजों और विद्यालयों के समर्थन के उचित उपायों के साथ समर्थन विद्यार्थीयों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जायें। और पाठयक्रम भी बदलना चाहिये। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि एक साथ सीखने वाले विद्यार्थीयों को एक साथ रहने के लिए सीखना है। यह दर्शन विविध विद्यार्थीयों के बीच समावेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये सद्भाव लाएगा, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के मामले में सामग्री संसाधनों का कोई मूल्य नहीं होता, यदि मानव मूल्यों के संसाधनों को अनदेखा किया जाता है। जिससे विद्यार्थीयों की ताकत और कमजोरियों को समझने की आवश्यकता है। और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली का अभ्यास किया जा सकता है और यदि नहीं तो क्यों और हां तो क्यों यदि हां तो प्रत्येक विद्यार्थीयों के सर्वोत्तम हित में शिक्षण कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कैसे विकसित किया जाए प्रत्येक विद्यार्थीयों के सर्वोत्तम हित में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना एक मुद्दा है। समावेशन समाज में हर एक कक्षा शिक्षक, विद्यालय प्रबंधक, कर्मचारियों और प्रबंधकों, प्राधिकरण सेवाओं की श्रेणी में सामान्य विद्यार्थीयों के माता-पिता और लचीली शिक्षा प्रणाली में संभवतः एक समस्या है जो की जरूरतों को समेटती है। शिक्षार्थियों की एक विविध श्रेणी और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को अनुकूल बनाता है इस उद्देश्य प्रणाली में सभी हितधारकों (शिक्षार्थियों, माता-पिता, समुदाय, शिक्षकों, प्रशासनिक और नीति निर्माताओं) को विविधता के साथ सहज होना और एक समस्या के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना है। समावेशन जैसे कि उनके आत्मविश्वास के

स्तर को बढ़ाने और सामाजिक समूह का एक हिस्सा महसूस करने के लिए जिससे वे कमजोर समूहों के बौधिक/संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का पालन करते हैं।

समावेश की अवधारणा से इंकार नहीं हुई है (बान, मेहता 1989) धीरे-धीरे प्रयासों को सीधे निर्देश और माध्यम से लोगों को शिक्षित करके समाज में व्यवहारिक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थीयों को सामान्य कक्षाओं और स्कूलों में विशिष्ट विद्यार्थीयों (गैर- विशिष्ट विद्यार्थीयों) के साथ अध्ययन करने की अनुमति देकर शिक्षा संस्थानों दवारा संज्ञानात्मक समावेश की कोशिश की जाती है। लेकिन केवल बहुत ही कम जगहों पर संज्ञानात्मक समावेश इसके वास्तविक अर्थ में होता है। संज्ञानात्मक समावेश केवल तभी संभव है, जब विषय छोटे अध्यापन इकाइयों में टूट गया हो और शिक्षक सुनिश्चित करता है कि सबके प्रत्येक सूक्ष्मकुंडों को सभी विद्यार्थीयों दवारा अपेक्षित स्तर के स्वामित्व के लिए सीखा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थीयों को उचित समय पर और उचित तरीके से जानकारी को समझने बनाए रखने और पुन: उत्पन्न करने के लिए समान अवसर दिया जाता है।

यदि शामिल किए जाने या उसे सही अर्थों में हासिल करना है तो यह एक समीकरण के रूप में उभर आता है।

ACCESS + INVOLVEMENT + COMMITMENT = INCLUSION

समान अवसर उपलब्ध कराने का मतलब यह नहीं है कि सभी बच्चों को समान चीजें प्रदान करें। इसका मतलब है कि समान अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिये, हमें सभी विद्यार्थीयों की विभिन्न आवश्यकताओं की जवाबदेही को स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ विद्यार्थी सामान्य हैं और कुछ विद्यार्थी विशिष्ट है, इसलिए किसी तरह से मरम्मत की जरूरत है, फिर भी समाज की एक सहभागिता है जो विविधता के बजाय एकरूपता मानता है। एक ऐसे समाज में जहां विद्यार्थीयों को उनकी विविधता के साथ अधिकार दिया जाता है इस प्रकार सही है जो विशिष्ट विद्यार्थीयों को समर्थन प्रदान

करना है क्योंकि उनका समावेशन सामाजिक, आर्थिक रुप से हो सके और अकादमिक रुप से सार्थक हो सके। अकेले काम करने वाले विशेष शिक्षा शिक्षक दवारा सार्थक शामिल किया जा सकता है। यह अपने विद्यार्थीयों की देखभाल के लिये नियमित स्कूल के शिक्षको के साथ अस्थाई सौदा करने मे मदद नही करता है। स्कूलो मे अर्थपूर्ण शामिल करने के लिये आवश्यक है कि व्यवस्थापको, अध्यापको और माता-पिता न केवल मूल्यो का महत्व मानते है बल्कि पारंपरिक तरीके से भी प्रश्न पुछते है। जो हम विशिष्ट विद्यार्थीयों को अलग करते है कि फिर से 6-14 वर्ष की आयु वर्ष मे दो करोड विद्यार्थीयों को विशेष शिक्षा की आवश्यकतायें होती है। प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक ग्रेड मे सकल नामांकन के राष्ट्रीय औसत मे 90 प्रतिशत से अधिक का अंतर होता है। जबकि 5 प्रतिशत से कम विशिष्ट विद्यार्थीयों को नियमित स्कूल व्यवस्था तक पहुचाया गया। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है। प्राथमिक स्तर पर देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या स्कूली शिक्षा है।

एक किलोमीटर सीमा के भीतर की सुविधाएं और ऊपरी प्राथमिक में यह 84 प्रतिशत है यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में हमारे देश ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। लेकिन दुसरा पक्ष यह है कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 200 मिलियन विद्यार्थी मे से 59 प्रतिशत (मिलियन) विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, 35 प्रतिशत (मिलियन) लड़कियां हैं और 24 प्रतिशत (मिलियन) लड़के हैं। इन आंकडो मे वंत जनजातीय और विशिष्ट लोगो की आबादी शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान 2010 मे सिर्फ 6-14 साल के आयु वर्ग के सभी विद्यार्थीयों को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण प्राथिमिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान विशेष समूहों की शिक्षा पर भी केंद्रित है। वहां पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थीयों के नुकसान शैक्षिक भागीदारी अनुभव से पता चलता है कि विशेष और एकीकृत स्कूलों में शिक्षा व्यक्तिगत के समस्त विकास का समर्थन करती है।

1.6 समावेशी शिक्षा का विकास

समावेशी शिक्षा का विकास निरंतर चला आ रहा है पहले विशिष्ट विद्यार्थीयों के लिये पृथककरण शिक्षा थी। इसमे विशिष्ट विद्यार्थीयों को अलग से शिक्षा प्रदान की जाती थी तत्पश्चात यह पाया गया कि इनका विकास नही हो पा रहा है। यह समाज से दूर होते जा रहे है। तभी पृथककरण शिक्षा को बदलकर समेकित शिक्षा की गयी जिसमे विद्यार्थीयों को किसी भी विद्यालय मे शिक्षा प्रदान करने की अनुमति थी। परंतु तब भी पाया गया कि इन विद्यार्थीयों का पूर्ण तरीके से विकास नही हो पा रहा है। तभी (युनेस्को) सलमानका के अनुसार समावेशी शिक्षा का विचार आया। जिसमे कहा गया कि सभी विद्यार्थीयों को एक साथ शिक्षा दी जायेगी। इस प्रकार समावेशी शिक्षा लागू की गयी। और सभी विशिष्ट विद्यार्थीयों और सामान्य विद्यार्थीयों को एक साथ शिक्षा दी जाने लगी। जिसमे विशिष्ट विद्यार्थीयों को उनके आवश्यकता के अनुसार सामान्य विद्यार्थी के साथ शिक्षा दी जाने लगी इससे समावेशी शिक्षा का विकास हुआ। और हमारे देश का भी विकास हो रहा है।

पृथककरण शिक्षा- समेकित शिक्षा- समावेशी शिक्षा

1.7 समस्या कथन

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्तिः एक अध्ययन

1.8 अध्ययन के उद्देश्य

1. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति पुरुष शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति महिला शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

1.9 अध्ययन की परिकल्पना

समावेशी शिक्षा के प्रति पुरुष और महिला शिक्षक की अभिवृत्ति मे सार्थक अंतर नही है।

1.10 शोध की परिसीमाऐं

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल भोपाल जिले तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन शासकीय और अशासकीय विद्यालय तक सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक शिक्षको पर ही सीमित किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक शिक्षको की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के संबंध मे किया गया है।